प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम
बी0-912, सेक्टर "सी" महानगर, लखनऊ ।

पत्रांक: 4539/योजना/सं0वि0/89-90. दिनांक: 7-2-1990.

सेवा में,

समस्त अपर जिला विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण)/पदेन जिलाप्रबन्धक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम लि0,
उत्तर प्रदेश ।

बिषय:- अनुसूचित जाति के बेरोजगार/शिक्षित बेरोजगारों को टैक्सी, कार, ट्रक बस पेट्रोलियम डीलरशिप तथा उपयोगी लघु उद्योगों की योजनाओं पर मार्जिन मनी ऋण/अनुदान की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्री टी0 मुनिवेंकटप्पा संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रसं0-17014/53/89-एस.सी.डी. IV दिनांक: 18 दिसम्बर, 1989 के द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार / शिक्षित बेरोजगारों को टैक्सी, कार, ट्रक, बस, पेट्रोलियम डीलरशिप एवम् लाभदायक उपयोगी लघु उद्योगों की योजनाओं पर योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण तथा अनुमन्य अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक: 30-12-89 को सम्पन्न बैठक में किया जा चुका है ।

अत: भारत सरकार के उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि कृपया पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त योजनाओं से अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने की कार्यवाही करें । इन योजनाओं का समुचित प्रचार एवं प्रसार भी कराया जाय ।

संलग्नक-उक्त ।

भवदीय,
ह0/-
(एन0आर0निगम)
प्रबन्धनिदेशक।

पृष्ठांकनसं0-4539 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
2- सचिव एवं निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय-16 विधानसभामार्ग लखनऊ को इस आशय से कि कृपया समस्त बैंकों को उक्त योजनाओं पर ऋण स्वीकृत कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करायेजाने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी:अपर जिलाधिकारी विकास/परियोजना उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त लीड बैंक आफीसर, उ0प्र0 ।

(एन0आर0निगम)
प्रबन्धनिदेशक ।

सोनी/1459।